CIN : U45203MP2004SGC016758

MPRDC

मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण)

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

☎ : (ऑफिस) 0755-2597290/2765205, फैक्स : 0755-2572643, वेबसाइट : mprdc.gov.in

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्र. 7571 /एमपीआरडीसी/संभाग भोपाल/2024 भोपाल दिनांक 27.02.2024

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल, रायसेन
जिला–रायसेन (म.प्र.)

विषयः–रायसेन जिले में गढ़ी–अहमदपुर तक मार्ग निर्माण हेतु 6.930 हेक्टेयर वन भूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :–कार्यालय प्रधान मुख्य वन वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क–एफ–5/1294/2023/10–11/770 भोपाल दिनांक 03.02.2024 (FP/MP/Road/149386/2021)

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय से प्राप्त संदर्भित पत्र दिनांक 03.02.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन प्रकरण में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाने के पूर्व 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई हैं।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व चाही गई बिन्दुओं पर इस कार्यालय द्वारा अभिमत निम्नानुसार है:–

Sr. No.	QUERY	COMPLAINCE
1	This HAS been stated by the the state govt with regard to point-10,that necessary correction with regard to the ca area has been done in the online portal .but it is seen that no such corrections have been done.further the net suitable area for plantation is only 0.93 ha out of total 17.93 ha and area proposed for ca is also used in another proposal NO.FP/MP/ROAD/149613/2021 (2.06 HA).This need to be clarified.	वन विभाग से संबंधित है DFO के साइट बिजिट की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जानी है।
2	In case it is not possible to raise plantation at the rate of 1000 plants per ha on the selected non-forest land ,then the balance plants shall be planted on degraded forest land as per working plan prescription and provide/upload the details (KML,Suitability etc)	वन विभाग से संबंधित है DFO के साइट बिजिट की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जानी है।
3	In the DSS analysis of te area proposed for diversion it is seen that the some area proposed for widening of existing road in both side and some area only one side. this need to be clarified further, if the existing road is built before 1980 the necessary clarification/ amendment be done according to guideline dated 15.03.2023 in this regard.	मार्ग का निर्माण एवं चौडीकरण **existing carriageway** के दोनों तरफ किया जाना है। यह मार्ग 1980 के पूर्व का बना हुआ है टोपों सीट क–55E/15 के अनुसार। टोपो सीट संलग्न है।

4	Road side plantation scheme has not been attached/uploaded.	एडीबी परियोजना अंतर्गत ठेकेदार द्वारा वृक्षारोपण किये जाने के प्रावधान हैं। (छायाप्रति संलग्न)
5	If the non forest land is also involved in the construction of proposed alignment. The entry of the non forest area be also made in online portal	परियोजना में Non Forest Land अधिग्रहण नहीं किया गया।
6	Muck calculation and muck disposal scheme shall be submitted. Merely starting that the muck shall be used for road side levelling is not enough.	मार्ग निर्माण में 4831.6 Cum बी.सी. /डी.बी.एम. की आवश्यकता है अतः 0.08mX5mX8628m=3450Cum Muck का इस्तेमाल रायसेन जिले के पांजरा प्लाट में रिसाईकल करके मार्ग निर्माण में बी.सी./डीबीएम के कार्य में उपयोग किया जावेगा।

उपरोक्त संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के कार्यालय से प्राप्त पत्र पर, इस कार्यालय का अभिमत सहित संबंधित दस्तावेज इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त संबंध में अग्रिम कार्यवाही करते हुए, प्रधान कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें, जिससे स्टेट–1 स्वीकृति जल्द से जल्द प्राप्त कर रायसेन जिले में गढ़ी से अहमदपुर तक मार्ग निर्माण प्रारंभ किया जा सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सड़क विकास निगम
भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1294 / 2023 / 10–11 / 770 भोपाल, दिनांक 03/02/2024

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड,
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषयः– **रायसेन जिले में गढ़ी से अहमदपुर तक मार्ग निर्माण हेतु 6.930 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन** प्रकरण क्रमांक / **FP/MP/ Road/149386 /2021)**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPB 036/2023-BHO/ दिनांक 01.02.2024 .

---0---

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार बिन्दुवार जानकारी आपसे संबंधित तैयार कर वन मण्डल अधिकारी के माध्यम् से इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

03.02.24
(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1294 / 2023 / 10–11 / 771 भोपाल, दिनांक 03/02/2024

प्रतिलिपिः–

1– वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।

2– वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रायसेन, मध्यप्रदेश।

की ओर भेजकर लेख है कि आपसे संबंधित जानकारी तैयार कर एवं आवेदक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

03.02.24
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

64146/2024

1160

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)
TEL. 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीबी 036/2023-बीएचओ/ दिनांक ..-01/2024 01/02/2024

प्रति

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्यप्रदेश) ।

विषय: रायसेन जिले में गढ़ी से अहमदपुर तक मार्ग निर्माण हेतु 6.930 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को उपयोग पर देने बाबत (Online Proposal No. FP/MP/ROAD/149386/2021).

सदर्भ: 1) कार्यालय का पत्र क्रमाक 6-एमपीबी 036/2023-बीएचओ दिनांक 27/11/2023.
2) नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1294/2023/10-11/ 141 दिनांक 05/01/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । अत: निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज़ प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. This has been stated by the the State Govt with regard to point-10, that necessary correction with regard to the CA area has been done in the online portal. But it is seen that no such corrections have been done. Further, the net suitable area for plantation is only 0.93 ha out of total 17.93 ha and the area proposed for CA is also used in another proposal No. FP/MP/ROAD/149613/2021 (2.06 ha). This need to be clarified.
2. In case it is not possible to raise plantation at the rate of 1000 plants per ha on the selected non-forest land, then the balance plants shall be planted on degraded forest land as per working plan prescriptions and provide/upload the details (KML, Suitability etc) of degraded forest land in online portal accordingly.
3. In the DSS analysis of the area proposed for diversion it is seen that some areas proposed for widening of existing road in both side and some are in one side only. This need to be clarified. Further, if the existing road is built before 1980 the necessary clarification/amendment be done according to guideline dated 15.03.2023 in this regard.
4. Road side plantation scheme has not been attached/uploaded.
5. If the non forest land is also involved in the construction of proposed alignment. The entry of the non forest area be also made in online portal.
6. Muck calculation and muck disposal scheme shall be submitted. Merely stating that the muck shall be used for roadside leveling is not enough.

उपरोक्त जानकारी प्रेषित किये जाने का अनुरोध है जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

1/2/24

(डॉ. योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल।

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	01010. 1082023014457
Total E-Stamp Amount	1000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
E-Stamp Type	NON- JDICIAI
Issue Date & Time	11/08/2023 17:06:38
Service Provider or Issuer Details	SUNIL RAI/SP012942406201700040
SP/SRO/DRO/HO Details	M.N.I 5 WARD NO.10 SHIV MANDIR KE P RAIS N RAISEN

Municipal Upkar Amour.

Deed Details

Deed Type	Trust
Deed Instrument	Revoc. ion of- of or concerning any property when made by any will- One thousand rupees.
Purpose	Agreement
Organization Name	M/s Bhojpur Mahadev Highways Pvt Ltd
Address	Flat no 305 3rd Floor B Block Keelan Dev Towers Bhopal BHOPAL Madhya P: INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	Chairman Forest Committee
Address	Village Forest Committee Ratanpur RAISEN Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	2

CANCELLED NOTARIAL

NOTARY Raisen Bhaiya Lal Kushwah GOVT. OF INDIA

AGREEMENT

संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समिति के माध्यम से रोड वर्क के उपयोग से बिगड़े वनों का सुधार कार्य अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध

1/ एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा भोजपुर महादेव हाइवे प्राईवेट लि. (VRS) को नीचे दर्शित मार्गो के निर्माण के विरूद्ध 9077 वृक्ष वन भूमि में एवं वन विभाग द्वारा लगाने हेतु निर्देशित किया है, VRS उसकी लागत वन विभाग को अग्रिम जमा करायें अतः प्रदेश में बिगड़े वनों के पुर्नस्थापना हेतु भोजपुर महादेव हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निधि से पर्यावरण संरक्षण हेतु यह त्रिपक्षीय अनुबंध समस्त पक्षों की सहमति से आज दिनांक 18.08 2023 को अनुबंध किया गया है ।

सत्य प्रतिलिपि

Digitally signed by SUNIL RAI
Date: 2023.08.11 17:06:43 IST

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
वन विकास अभिकरण, रायसेन

[redacted]

VRS

[illegible]

तीसरी [illegible] (जिसमें [illegible] में जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राह्य न हो उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक कम्पनी के तत्कालीन भागीदार उसके उत्तराधिकारी, सम्मिलित होगें ।)

क.	मार्ग का नाम	मद	रोपित किये जाने वाले पौधा संख्या	प्रोजक्ट अवधि	प्रोजक्ट की कुल लागत राशि
1	औ.गंज से भोजपुर रोड	MPRDC	9077	वर्ष 2023–24 से 2029–30	रू. 32,50,000/– (रू.बत्तीस लाख पचास हजार)
2	अमरावत से मारकच्छ रोड				
3	गढी से अहमदपुर रोड				
4	चिकलोद से रतनपुर रायसेन				

2. द्वितीय पक्ष – संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंध समिति रतनपुर परिक्षेत्र पूर्व रायसेन वन मण्डल सामान्य रायसेन जिला रायसेन म0प्र0 की ओर से वन समिति के अध्यक्ष ।
3. तृतीय पक्ष – वन मण्डलाधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अभिकरण रायसेन वन मण्डल ।

3/ विभिन्न पक्षों के मुख्य दायित्व निम्नानुसार होगें :–

प्रथम पक्ष का मुख्य दायित्व :–

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु बिगड़े वनो का सुधार कार्य अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण हेतु कुल 7 वर्ष की रख–रखाब अवधि में कुल राशि रू. 32,50,000/– (बत्तीस लाख पचास हजार रू.) निर्धारित है । जिसमें से रू.18,00,000/– (अट्ठारह लाख रूपये) अनुबंध के समय और शेष रू.14,50,000/– (चौदह लाख पचास रू.) एक वर्ष की अवधि में जमा करेंगे । उपरोक्त का स्वीकृति पत्र तृतीय पक्ष द्वारा समय–समय पर प्रथम पक्षकार को जारी किया जावेगा ।
2. निधियॉ समय पर उपलब्ध कराना ।
3. उपरोक्त 4 मार्ग निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार की अनुमति हेतु लंबित है । F.C.A. के तहत इन प्रकरणों में जो C.A. होगा उसका 9077 पौधो को वन भूमि पर लगाने एवं उसके व्यय से कोई भी संबंध नहीं रहेगा

द्वितीय पक्ष का मुख्य दायित्व :–

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु तय प्राथमिकता अनुसार क्षेत्र चयन करना ।
2. चयनित क्षेत्र हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करना, तथा आम सभा से अनुमोदन कराना ।

NOTARY Raisen Bhaiya Lal Kushwah M.P. GOVT. OF (INDIA)

कराना ।

तृतीय पक्ष का मुख्य दायित्व :-

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु आवेदक संस्था से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्तावक संस्था को सहमति प्रदान करना ।
2. उपरोक्त 4 मार्ग निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार की अनुमति हेतु लंबित है । F.C.A. के तहत इन प्रकरणों में जो C.A. होगा उसका 9077 पौधो को वन भूमि पर लगाने एवं उसके व्यय से कोई भी संबंध नहीं रहेगा ।
3. वन समिति को सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने में सहायता करना, तथा सूक्ष्म प्रबंध योजना की स्वीकृति प्रदान करना ।
4. प्राप्त निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए, वन समिति के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य समय से पूर्ण कराना ।
5. वृक्षारोपण को विभागीय वृक्षारोपण मूल्यांकन प्रणाली में पंजीकृत करना, तथा समय-समय पर परिणामों को अद्यतन करना ।
6. वृक्षारोपण से स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार करना ।
7. प्रस्तावक संस्था को वृक्षारोपण की प्रगति से समय-समय पर अवगत कराना ।

4/ मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का आदेश कमांक एफ 16-01-2021-दस-2 भोपाल दिनांक 25 नवम्बर 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिगड़े वन क्षेत्रों की पुर्नस्थापना हेतु किये गये प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम पक्ष स्वेच्छा से द्वितीय पक्ष को आबंटित किये गये, बिगड़े वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कराने का इच्छुक है ।

प्रथम पक्ष वनक्षेत्र या उसके एक अंश की पुर्नास्थापना/वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन के अनुसार निधियां उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है ।

5/ त्रिपक्षीय अनुबंध का यह प्रलेख इस बात का साक्षी है कि संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित शर्तो पर परस्पर अनुबंध करते हैं :-

द्वितीय पक्ष ग्राम वन समिति रतनपुर को आवंटित वन कक्ष कमांक आर.एफ.-358 जिसका कुल क्षेत्रफल 549.1 हेक्टेयर है, में से कक्ष कमांक आर.एफ.-358 के 15 हेक्टेयर में घेराव एवं 10 हेक्टेयर

NOTARY Raisen Bhaiya Lal Kushwah M.P. GOVT. OF (INDIA)

सत्य प्रतिलिपि

VRS Bhojpur Mahadev Highway Authorised Signatory

सचिव

2. तृतीय पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष की आमसभा की बैठक आयोजित कर पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी ।

3. किसी भी पक्ष द्वारा वनक्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे स्थानीय समुदाय के अधिकारों एवं वन आधारित आजीविकाओं पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े ।

4. किसी भी पक्ष द्वारा वन क्षेत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, प्रचलित वन अधिनियमों एवं नियमों के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया जायेगा ।

5. द्वितीय पक्ष द्वारा पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण की परियोजना में वनक्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक रूप से उग रही प्रजातियों का संरक्षण किया जायेगा । वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जायेगी । विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण प्रतिबंधित रहेगा।

6. प्रथम पक्ष को वनक्षेत्र या वनोपज पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । निधियों उपलब्ध कराने के एवज में प्रथम पक्ष को कार्बन क्रेडिट उपयोग करने का अधिकार होगा ।

7. कार्यो के निरीक्षण एवं देखभाल के लिये प्रथम पक्ष को संबंधित वन क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार होगा ।

8. तृतीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि वन क्षेत्र में अतिकमण अथवा किसी भी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधियां संचलित न हो ।

9. प्रथम पक्षकार के चयनित कक्ष कमांक बिगड़े वन क्षेत्र के उपचार हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा वन विभाग की स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण कराया जायेगा, जिसकी प्रकिया में प्रथम पक्ष की सहभागी के रूप से भाग ले सकेगा ।

10. सहभागी प्रकिया से तैयार की गई, सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुमोदन वनसमिति के आमसभा से द्वितीय पक्ष द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तृतीय पक्ष द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

11. प्रथम पक्ष को परामर्श में शामिल करके चयनित क्षेत्र के उपचार हेतु, स्वीकृत सूक्ष्म प्रबंध योजना के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत

12. वृक्षारोपण करने के लिए प्रथम वर्ष में क्षेत्र तैयारी [illegible] कम से कम चार वर्ष तक वृक्षारोपण के रखरखाव के कार्य का प्रावधान करने का उत्तर दायित्व तृतीय पक्ष का होगा ।

13. वनक्षेत्र की स्थिति एवं वर्तमान में वन की स्थिति को दर्शाने वाला डिजिटल मानचित्र एवं अनुमोदित उपचार योजना तृतीय पक्ष द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराई जायेगी ।

14. प्रथम पक्ष द्वारा प्राक्कलन के अनुसार पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्य संपादन हेतु निर्धारित राशि अनुबंध के लागू होने के एक वर्ष की अवधि के अंदर वनमंडल स्तर पर वन विकास अभिकरण के खाते में इलेक्ट्रानिक रीति से जमा कराई जायेगी । तृतीय पक्ष द्वारा कार्य संपादन हेतु राशि द्वितीय पक्ष के विकास खाते में जमा कराई जायेगी । तथापि प्रथम पक्ष चाहे तो तृतीय पक्ष को सूचना देते हुये द्वितीय पक्ष के खाते में सीधे राशि अंतरित कर सकेगा ।

निर्धारित अवधि में राशि उपलब्ध नहीं कराने पर अनुबंध को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अध्यक्ष वन विकास अभिकरण के समक्ष तथा द्वितीय अपील राज्य वन विकास अभिकरण को प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसका निर्णय सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

15. द्वितीय अथवा तृतीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि अंदर अनुबंध के अनुरूप रोपण का कार्य संपादित नहीं किया जाता है तो द्वितीय/तृतीय पक्ष द्वारा सम्पूर्ण मूल राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज प्रथम पक्ष को वापस की जायेगी ।

16. द्वितीय पक्ष को प्राप्त निधियों के संदर्भ में वन समिति के विकास खाते का नियमानुसार अंकेक्षण किया जायेगा एवं पारदर्शिता हेतु उसकी एक प्रति सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जायेगी । निधियों के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति के निराकरण हेतु तृतीय पक्ष द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

17. स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्य का सम्पादन द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार कराया जायेगा ।

NOTARY Raisen Bhaiya Lal Kushwah M.P. GOVT. OF (INDIA)

सत्य प्रतिलिपि

सचिव

एवं ... से अनुमोदन पश्चात् ... विकास अभिकरण ... प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

19. द्वितीय पक्ष द्वारा यथा संभव स्थानीय मजदूरों को कार्य में लगाया जायेगा तथा स्थानीय संसाधनों का ही उपयोग किया जायेगा।

20. द्वितीय पक्ष द्वारा उपचार स्थल पर एक पटल लगाया जायेगा जिसमें वनों की वैधानिक स्थिति, कार्य का विवरण, लागत तथा निधियां उपलब्ध कराने वाले प्रथम पक्ष का नाम एवं वन समिति का नाम अंकित किया जायेगा ।

21. कार्य के दौरान एवं कार्य समापन के पश्चात् वनक्षेत्र की अग्नि, अवैध कटाई, एवं अवैध चराई से सुरक्षा का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।

22. पुर्नस्थापन/वृक्षारोपण के रख–रखाव के दौरान साफ–सफाई एवं विरलन से प्राप्त समस्त वनोंपज पर द्वितीय पक्ष का अधिकार होगा।

23. पुर्नस्थापन/वृक्षारोपणकार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहभागी प्रकिया एवं वन विभाग की निर्धारित मानक रीति से किया जायेगा, जिसमें अनुबंध में शामिल तीनों पक्ष भाग लेगें ।

24. तृतीय पक्ष द्वार वृक्षारोपण को विभागीय वृक्षारोपण मूल्यांकन प्रणाली में पंजीकृत कर निर्धारित अवधि में इसके परिणाम को अद्यतन किया जायेगा ।

25. तृतीय पक्ष द्वारा कार्य समापन उपरांत वृक्षारोपण कार्य के मूल्यांकन का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, जिसमें वृक्षारोपण की स्थिति एवं स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव का आंकलन भी किया जायेगा।

26. तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् वृक्षारोपण में रोपित पौधों की जीवितता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर ही रोपण को सफल माना जायेगा।

27. इस त्रिपक्षीय अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से सात वर्ष होगी । आवश्यकता होने पर सभी पक्षों की सहमति से अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी ।

28. मध्यप्रदेश राज्य से लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उसके अधीन बनाए गए

NOTARY Reisen Bhaiya Lal Kushwah M.P. GOVT. OF (INDIA)

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
... विकास अभिकरण, रायसेन
वन मण्डल रायसेन (सा.)

सचिव

29. इस अनुबंध के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद मध्यप्रदेश स्थित सक्षम न्यायालय की अधिकारिता के अध्यधीन होगा, जिसके साक्ष्य में, इसमें लिखित दिनांक को प्रथम पक्ष ने यहां अपने हस्ताक्षर किए है तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है तथा ऊपर लिखित द्वितीय एवं तृतीय पक्ष ने हस्ताक्षर किए है ।

NOTARY
Raisen
Bhaiya Lal Kushwah
M.P. GOVT. OF INDIA

प्रथम पक्षकार	द्वितीय पक्षकार	तृतीय पक्षकार
मे. भोजपुर महादेव हाइवेज प्राइवेट लि. फलेट नं. 305 तीसरी मंजिल बी–ब्लाक कीलनदेव टॉवर्स	अध्यक्ष वन समिति ग्राम वन समिति रतनुपर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वन विकास अभिकरण रायसेन

VRS Bhojpur Mahadev Highway Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

सचिव
ग्रा.व.स.

This document is executied my presence by within all attested
18/8/23
BHAIYA LAL KUSHWAH
NOTARY/ADVOCATE
RAISEN (M.P)

सत्य प्रतिलिपि

INDIA

REFER TO THIS MAP AS :- 1:50,000
SHEET 55 E/15 FIRST EDITION

FIRST EDITION

MADHYA PRADESH

RAISEN & VIDISHA DISTRICTS.

Surveyed 1967-68.

Magnetic Variation from True North about 1° West in 1970.
(Decreasing by about 1' annually).

No. 55 E/15

PRINTED AT THE 101 (H.L.O.) PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA.

REG. No. 4105 HD'72 (N.C. 27-1:33,333)-2621'75-2706'78-4106'84.

Roads, metalled: according to importance: distance stone
,, unmetalled: do. do : bridge
Cart-track. Pack-track and pass. Foot-path with bridge
Bridges: with piers: without. Causeway. Ford or Ferry
Streams: with track in bed. undefined. Canal
Dams: masonry or rock-filled: earthwork. Weir
River banks: shelving: steep. 3 to 6 metres: over 6 metres
,, dry with water channel: with island & rocks. Tidal river
Submerged rocks. Shoal. Swamp. Reeds
Wells: lined: unlined. Tube-well. Spring. Tanks: perennial: dry
Embankments: road or rail: tank. Broken ground
Railways, broad gauge: double: single with station: under constrn
,, other gauges: do. : do. distance stone: do.
Mineral line or tramway. Telegraph line. Cutting with tunnel
Contours with sub-features. Rocky slopes. Cliffs
Sand features: (1) flat. (2) sand-hills and dunes (surveyed). (3) shifting dunes.

1st Edition 1972.

REFER TO THIS MAP AS :- 1:50,000
SHEET 55 E/15 FIRST EDITION

INDIA

Index to Sheets

55 E/10	55 E/14	55 I/2
55 E/11	55 E/15	55 I/3
55 E/12	55 E/16	55 I/4

Published under the direction of Dr. Hari Narain, M.Sc., D.Phil., Ph.D., *Surveyor General of India.*
1972.

1:50,000

500 m to 1 cm — 2 cm to 1 km

Metres 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 Kilometres

Administrative Index

VIDISHA
RAISEN

HEIGHTS & CONTOURS IN METRES

CONTOUR INTERVAL 20 METRES

Water features are shown in blue where they generally contain water.

Cultivated areas are coloured yellow.

The exterior boundaries of areas of Reserved or Protected Forests are shown by green ribands.

Contours are approximate.

A relative height, .8r, represents the approximate height, in metres, between the top and bottom of a steep slope.

Wooded areas are coloured green. Scattered trees and other vegetation are in green, but prominent surveyed trees are in black.

The kilometre stone numbers along roads and the railway are shown in slant type, e.g., '5' whereas milestone numbers are shown in upright type e.g., '5'.

Tanks, shown dry in this area, usually contain water from July to December.

The triangulated heights and contours in this sheet have not been adjusted to the heights of the spirit-levelled bench-marks and may not be strictly in accordance with them.

The common boundary of Reserved Forest between Ghārla R.F. and Sītātalāi R.F. in square A/2 has not been shown for want of reliable information.

The North-west quarter of the area appearing in this map is magnetically disturbed and the variation given may differ largely from the actual value.

Towns or Villages: inhabited: deserted. Fort
Huts: permanent: temporary. Tower. Antiquities
Temple. Chhatri. Church. Mosque. Īdgāh. Tomb. Graves
Lighthouse. Lightship. Buoys: lighted: unlighted. Anchorage
Mine. Vine on trellis. Grass. Scrub
Palms: palmyra: other. Plantain. Conifer. Bamboo. Other trees.
Boundary, international
,, state: demarcated: undemarcated
,, district: subdivn. tahsil or tāluk: forest
Boundary pillars: surveyed: unlocated: village trijunction
Heights, triangulated: station: point: approximate — △200 .200 .200
Bench-mark: geodetic: tertiary: canal — BM 63·3 .BM 63·3 .63
Post office. Telegraph office. Combined office. Police station — PO TO PTO PS
Bungalows: dak or travellers': inspection. Rest-house — DB IB (Canal) RH (Forest)
Circuit house. Camping ground. Forest: reserved: protected — CH CG RF PF
Spaced names: administrative: locality or tribal — KIKRI NĀGA

© GOVERNMENT OF INDIA COPYRIGHT, 1972.

BHARAT
EDUCATIONAL STORES
CHHIPI TANK MEERUT Ph. 72328